न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए / 74 / 2018

उनवान

1. श्रीमती सूडी पत्नी मांगू जाट निवासी मंशा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
2. श्रीमती जेतू उर्फ बदाम पुत्री मांगू जाट पत्नी छोटू लाल जाट निवासी मंशा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. मोती आत्मज हरदेव जाट निवासी मंशा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कोटडी जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, कोटडी के प्रकरण
संख्या 134 / 2015(92 / 2015) निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.1..2018

अधिवक्तागण :–

1. श्री आर एल जाट, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री अभिमन्यु जोशी अधिवक्ता प्रत्यर्थी सख्या 1
3.. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 26.8.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण / वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मंशा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मंशा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा में खाता संख्या 287 खसरा नम्बर 546 रकबा 1 बीघा 03 बिस्वा, आराजी नम्बर 781 रकबा 1 बीघा 08 बिस्वा, आराजी नम्बर 785 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा,

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

कर्मचारियों ने प्रतिवादी मोती से मिलाभगती कर तत्कालीन पटवारी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को गोदपुत्र बताते हुए एवं प्रतिवादी संख्या 1 को नाबालिग होते हुए भी नामान्तरकरण प्रतिवादी के नाम पर खोल दिया व उक्त नामान्तरकरण के संवत के आगे रोटेशन में विरासत के आधार पर मांगु पिता कजोड की समस्त आराजियात को तन्हा रूप से मोती पिता मांगु के नाम पर दर्ज अभिलेख कर दिया । जबकि न तो वादिया व न ही मांगु ने मोती को विधिवत सामाजिक प्रथा के अनुसार या रजिस्टर्ड गोद नामे के गोद लिया व न ही ऐसा कोई दस्तावेज वक्त नामान्तरकरण ही मोती द्वारा पेश किया गया । इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रतिवादी मोती व राजस्व कर्मचारियों ने मिलाभगती कर मोती का मांगु का तथाकथित गोदपुत्र बताते हुए तन्हा रूप से मांगू की समस्त आराजियात मोती के नाम पर दर्ज अभिलेख कर दी । जबकि जिस दिन मांगु जी का देहान्त हुआ उस समय वादिया सुडी व जेतु उर्फ बदाम जीवित रही जो कि सुडी मांगु की पत्नि है एवं जेतु उर्फ बदाम पुत्री है एवं प्रथम श्रेणी की वारिस रहीं । यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि मांगु जी ने अपने जीवन काल में कोई वसीयत, गोदनामा, विक्रय पत्र आदि निष्पादित नहीं करवाया । चूंकि वादियागण श्री मांगु जी की पत्नि/पुत्री होकर प्रथम श्रेणी की वारिसान है इस कारण उक्त विवादित आराजियात में हक अधिकार वादियागण के विवाह/जन्म से ही निहित हो गये हैं जो आज दिनांक तक चले आ रहे हैं। वादियागण का उक्त आराजियात में मांगू जी के हिस्से की आराजियात पर कब्जा काश्त अनवरत रूप से मांगू जी के जीवनकाल से ही निरन्तर तौर पर बिना किसी बाधा के चला आ रहा है। इस कारण से वादियागण उक्त विवादित आराजियात के खातेदार काश्तकार स्वतः ही हो गई है। किन्तु राजस्व अधिकारियों एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने मिलाभगती कर

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

वादियागण का नाम उक्त विवादित आराजियात में नहीं आया है। जिसे सही किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम विलोपित कर वादियागण का नाम उक्त विवादित आराजियात में लाया जाना नितान्त आवश्यक है एवं वादियागण को उक्त विवादित आराजियात की खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक है। इसी निमित वाद पत्र पेश किया जा रहा है।

3. वादियागण का उक्त विवादित आराजियात में बराबर बराबर हिस्सा है एवं काबिज हो काश्त करती चली आ रही है । राजस्व रेकार्ड में केवल अपने नाम पर उक्त विवादित आराजियात दर्ज होने से मौके पर प्रतिवादी संख्या 1 उक्त विवादित आराजी को विक्रय करने पर आमादा है एवं वादियागण को प्रतिवादी संख्या 1 खातेदार काश्तकार होना भी नहीं मानता है। यदि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उक्त विवादित आराजियात को या उसके कुछ भाग को रहन बय बक्षीस कर दिया गया तो वादीगण को भूखे मरने की नोबत आ जायेगी। इस कारण से प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है कि वे उक्त विवादित आराजियात को कुलिया रूप से या इसके किसी भी हिस्से को रहन , बय बक्षीस ना करें एवं वादीगण को उक्त आराजियात में कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना करें ना किसी अन्य से करावें। यदि इस प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं फरमाई गई तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका अर्थ के रूप में कदापि मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा व मौके पर अनेकानेक विवाद उत्पन्न हो जायेंगे। वादीगण को उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी हुई तो वादीगण ने प्रतिवादी को निवेदन किया कि उक्त वादग्रस्त आराजियात में अपना नाम विलोपित करवाकर वादीगण का भी नाम जुडवा लें तो प्रतिवादी संख्या 1 ने ऐसा करने से

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा (राज.)

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

दिनांक 25.9.2015 को मना कर दिया व वादीगण को धमकी दी कि वे उसे मौके से बेकब्जा कर देंगे एवं उक्त विवादित आराजियात को उनके नाम पर होने से अन्य दिगर व्यक्ति को रहन बय बक्षीस कर देंगें व इस हेतु प्रतिवादी संख्या 1 मौके पर अन्य व्यक्तियों को ला रहा है व अपनी आराजी बता रहन बय बक्षीस करने की तैयार कर रहे हैं।

4. अतः वादीगण का उक्त वाद पत्र बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की घोषणा की डिक्री पारित की जावे कि वाद पत्र की पेरा संख्या 1 में वर्णित आराजियात का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व उक्त आराजियात में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम विलोपित कर वादीगण का नाम राजस्व रेकार्ड में किया जाकर काश्तकार खातेदार घोषित किया जावे। साथ ही वादीगण का उक्त वाद पत्र बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वादग्रस्त आराजियात में वादीगण के कब्जेकाश्त में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें एवं वादग्रस्त आराजियात को रहन, बय बक्षीस करें, व किसी प्रकार से वादिया को बेकब्जा नही करें। दौराने वाद यदि उक्त वादग्रस्त आराजियात को प्रतिवादी अन्य को रहन बय बक्षीस कर हस्तान्तरित कर दे या वादीगण को बेदखल कर दे तो कब्जा पुनः वादीगण को दिलाया जावे।

5. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय वादी का वाद पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण/वादीगण ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

6. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

7. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि एवं तथ्यों के विपरीत है। उनका यह भी निवेदन है कि मांगू पुत्र कजोड जाट के अपीलार्थीगण पत्नी एवं जायन्दा पुत्री होकर विधिक वारिस व उत्तराधिकार है। प्रत्यर्थी संख्या 1 को कभी भी मांगू जी द्वारा गोद नहीं लिया गया व न ही कोई ऐसा दस्तावेज निष्पादित किया गया है। जब मांगू जी का देहान्त हो गया , उउक्त आराजियात का विरासत से नामान्तरकरण तत्कालीन पटवारी द्वारा नामान्तरकरण फर्द में मोती पिता मांगू के नाम पर मनमकसूद तरीके से भरकर प्रस्तुत करदिया व मोती को मांगू का गोदपुत्र बता दिया व साथ ही तत्कालीन पटवारी हल्का व राजस्व कर्मचारियों ने श्रीमती सूडी वादिया को मोती बबिलायत माता बताकर नामान्तरकरण दर्ज कर ग्राम पंचायत मंशा के यहॉ प्रस्तुत कर दिया । जिस पर ग्राम पंचायत मंशा ने उक्त नामान्तरकरण को खारिज कर दिया । फिर भी राजस्व कर्मचारियों ने प्रत्यर्थी मोती से मिलाभगती कर तत्कालीन पटवारी द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 को गोदपुत्र बताते हुए व प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाबालिग होते हुए भी नामान्तरकरण प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम पर खोल दिया व उक्त नामान्तरकरण के संवत से आगे रोटेशन में विरासत के आधार पर मांगू पिता कजोड की समस्त आराजियात को तन्हा रूप से मोती पिता मांगू के नाम दर्ज कर दिया। जबकि न तो अपीलार्थीया ने व न ही मांगू ने विधिवत सामाजिक प्रथा अनुसार या जरिये रजिस्टर्ड गोद नामे के गोद लिया है व न ही ऐसा कोई दस्तावेज वक्त नामान्तरकरण ही मोती द्वारा पेश किया गया है । इस प्रकार प्रतिवादी मोती व राजस्व कर्मचारियों ने मिला भगती कर मोती को मांगू का तथाकथित गोद पुत्र बताते हुए तन्हा रूप से मांगू की समस्त आराजियात प्रत्यर्थी संख्या 1 मोती

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

के नाम पर दर्ज कर दी । इस प्रकार से प्रत्यर्थी संख्या 1 मांगू जी का गोद पुत्र नहीं होते हुए भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी गोद के दस्तावेज के प्रत्यर्थी संख्या 1 का नाम विलोपित नहीं कर अपीलार्थीगण के साथ साथ 1/3 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित करने में भारी भूल की है।

8. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि यहाँ यह लिखना सुसंगत होगा कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय के पेरा नम्बर 18 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि " वादी व प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, जवाब दावा व वादी की ओर से प्रस्तुत शपथ पत्र से यह भलीभाँति स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजियात मांगू पिता कजोड की रही एवं साथ ही यह भी स्पष्ट है कि सूडी व जेतू मांगू के प्रथम श्रेणी के वारिसान है उक्त दोनों तथ्यों को प्रतिवादी ने अपने जवाब में व बहस में इंकार नहीं किया है। इस कारण यह तथ्य भलीभाँति सूडी व जेतू मांगू की पत्नि/पुत्री है जो कि मांगू की प्रथम श्रेणी की वारिसान है। इस कारण वादग्रस्त आराजियात मांगू पिता कजोड की रही है व अपीलार्थीगण/वादीगण का हक हिस्सा जन्म से ही निहित हो स्वाभाविक रूप से बनता है। वहीं दूसरा प्रश्न न्यायालय के समक्ष जो अवधारणा हेतु उपस्थित रहा, उसमें प्रतिवादी की ओर से ऐसा कोई रजिस्टर्ड गोदनामा प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह प्रमाणित होता हो कि मोती मांगू का गोदपुत्र है। वहीं प्रतिवादी यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि मांगू व सूडी ने अपने जीवन काल में ही प्रतिवादी को गोद लिया हो एवं मोती के प्राकृतिक माता पिता ने गोद लिया हो, इस कारण मोती का मांगू का गोदपुत्र हो ऐसी कोई मौखिक व लिखित साक्ष्य जिससे की मोती को मांगू का गोद पुत्र माना जा सके। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त आराजियात में

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

प्रत्यर्थी/वादी को 1/3 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया है जो विधिविरूद्ध होने से खारिज किया जावे तथा अपीलार्थीगण को सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजियात का खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे एवं प्रत्यर्थी का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाया जावे।

9. प्रत्यर्थी संख्या 1 के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि प्रत्यर्थी/प्रतिवादी मोती मांगू का गोद पुत्र है । प्रत्यर्थी संख्या 1 के मोती के प्राकृतिक पिता का नाम हरदेव था जिन्होनें अपने जीवन काल में मोती को मांगू को गोद रख दिया , तब से प्रत्यर्थी संख्या 1 मोती मांगू का गोदपुत्र होकर मांगू के गोद पुत्र के रूप में ही जाना जाता है। प्रत्यर्थी के राशनकार्ड, आधार कार्ड इत्यादि में भी मोती के पिता का नाम मांगू अंकित है ये सभी तथ्य अपीलार्थीगण की जानकारी में है। जब प्रत्यर्थी 13–14 वर्ष का था तभी अपीलार्थी सरजू एवं मांगू ने प्रतयर्थी संख्या 1 को गोद ले लिया था। गोद लेने व देने की सभी रश्में पहूरी हुई। प्रत्यर्थी संख्या 1 मोती के जायन्दा माता सरजू व पिता हरदेव ने गोद दिया व अपीलार्थी सूडी एवं मांगू ने गोद लिया था। मांगू की मृत्यु के सभी कियाकर्म प्रत्यर्थी संख्या 1 ने किये एवं 12 दिन भी पाले जाति समाज के रिवाज अनुसार पगडी भी प्रत्यर्थी संख्या 1/प्रतिवादी के बांधी । गोद पुत्र होने तथा न होने संबंधित बिन्दु सिविल न्यायालय द्वरा ही तय किया जा सकता है और जब तक अपीलार्थीगण/वादीगण सिविल न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या 1/प्रतिवादी संख्या 1 मोती के गोद पुत्र संबंधित बिन्दु को तय नहीं करा लेते तब तक यह दावा ही प्रीमेच्यूर होकर चलने योग्य नहीं था।

10. प्रत्यर्थी संख्या 1 के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि मांगू की मृत्यु करीब 44 वर्ष पूर्व हो गई थी और दिनांक 12.12.1973 को ही प्रत्यर्थी संख्या 1/प्रतिवादी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

संख्या 1 के नाम पर नामान्तरकरण अपीलार्थीगण/वादीगण की सहमति से खोला गया था । लगान भी प्रत्यर्थी ही जमा कराता आ रहा है। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने ही वादग्रस्त आराजी पर कुआ खुदवाया है तथा उस पर इंजन भी लगवा रखा है। वादग्रस्त आराजी पर प्रत्यर्थी संख्या 1 ने आई सी आई सी आई बैंक बीगोद से ऋण ले रखा है इस मामले में आई सी आई सी आई बैंक बीगोद को पक्षकार नहीं बनाया गया है । इसलिए दावा ही चलने योग्य नहीं था। वादग्रस्त आराजियात में जेतू का जन्म से अधिकार नहीं था चूंकि पुत्री को ऐसा अधिकार सन् 2005 के बाद प्राप्त हुआ है। इस अधिनियम के संशोधन से पूर्व जेतू को कोई अधिकार सृजित नहीं हुए थे। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जावे एवं प्रकरण मे प्रत्यर्थी संख्या 1 को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नही किया गया है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जावे एवं प्रकरण प्रतिप्रेषित कर प्रत्यर्थी संख्या 1 को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जावे।

11. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात राजस्व रेकार्ड का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया ।

12. अधिनस्थ न्यायालय में श्रीमती सूडी पत्नि मांगू जाट एवं श्रीमती जेतू उर्फ बदाम पुत्री मांगू जाट पत्नि छोटू लाल जाट द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मांगू जाट द्वारा मोती जाट को कभी गोद नहीं रखा है। उसके बावजूद पटवारी हल्का ने मोती को मांगू का गोद पुत्र मानकर वादग्रस्त आराजियात का विरासत से खातेदार काश्तकार दर्ज किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नामान्तरकरण को खारिज किया गया है उसके बावजूद पटवारी हल्का ने नामान्तरकरण मोती के नाम पर दर्ज

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

किया गया है। वादग्रस्त आराजियात में से मोती का नाम हटाया जाकर मांगू की पत्नि सूडी एवं पुत्री जेतू उर्फ बदाम का नाम वादग्रस्त आराजियात में खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड किया जावे।

13. प्रत्यर्थी संख्या 1 का यह भी निवेदन रहा है कि उसे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नही किया गया है। इस संबंध में अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 161.2018 का अवलोकन किया । जिसमे अंकित किया गया है कि " वकील उभयपक्ष उपस्थित । प्रार्थना पत्र नियम 7/11 पर बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर मनन किया गया । सारहीन होने से खारिज किया जाता है। प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी पी सी का प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया । वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य में शपथ पत्र पी डब्ल्यू 1 से पी डब्ल्यू 4 को रेकार्ड पर लिया गया । वादी प्रतिवादी की बहस सुनी गई , तनकियात कायम की गई ।" अपीलाधीन निर्णय पारित किये जाने से पूर्व स्वयं प्रतिवादी एवं उनके अधिवक्ता उपस्थित थे। उभयपक्षके अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी को आदेशिका दिनांक 161.2018 में ही निर्णित कर दिये जाने का अंकन किय गया है । अपीलार्थी अपने कथनों को पर्याप्त से साबित करने में असफल रहा है कि उसे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है।

14. अधिनस्थ न्यायालय में वाद पत्र पंजिबद्ध किया गया एवं प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया । दिनांक 26.10.2017 को प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किया गया । प्रत्यर्थी संख्या 1 /मोती ने अपने आपको हरदेव का जायन्दा पुत्र होना बताकर मांगू के यहॉ गोद जाने का कथन किया है परन्तु प्रत्यर्थी संख्या

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

1 ने ऐसा कोई गोदनामा प्रस्तुत नहीं किया है एवं न ही इस तथ्य को गवाहान के बयान , साक्ष्य, दस्तावेज से साबित नहीं कराया है । प्रत्यर्थी संख्या 1 ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित हो सके कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपने जायन्दा पिता की सम्पति में से हक हिस्सा प्राप्त नही किया हो। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के पेरा संख्या 17 में यह अंकित किया है कि ''वादग्रस्त आराजियात मांगू पिता कजोड की रही है एवं उक्त दोनों तथ्य को प्रतिवादी ने अपने जवाब दावे व बहस में इंकार नहीं किया है इस कारण यह तथ्य भलीभॉति प्रमाणित है कि सुडी व जेतू मांगु की पत्नी/पुत्री है जो कि मांगू के प्रथम श्रेणी के वारिसान है इस कारण से उक्त वादग्रस्त आराजियात मांगू पिता कजोड की रही है जिसमें वादीगण का हक हिस्सा जन्म से निहित होकर स्वाभाविक रूप से बनता है। वहीं दूसरा प्रश्न न्यायालय के समक्ष जो अवधारणा हेतु उपस्थित रहा उसमें प्रतिवादीगण की ओर से ऐसा कोई रजिस्टर्ड गोदनामा प्रस्तुत नहीं हुआ जिससे यह प्रमाणित होता होकि मोती मांगू का गोदपुत्र है। वहीं प्रतिवादी यह प्रमाणित करने में भी असफल रहे है कि मांगू व सुडी ने अपने जीवन काल में प्रतिवादी को गोद लिया हो एवं मोती के प्राकृतिक पिता ने गोद दिया हो। **इस कारण मोती का गोद पुत्र हो ऐसी कोई मौखिक व लिखित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुई है। जिससे कि मोती को मांगू का गोद पुत्र माना जा सके।** '' जब अधिनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त विवेचनानुसार अपना अभिमत व्यक्त कर प्रतिवादी से संख्या 1 मोती को मांगू का गोद पुत्र नहीं माना । उसके उपरान्त पेरा नम्बर 18 में अंकित किया कि '' **किन्तु न्यायालय के विनम्र मत में पत्रावली से यह स्पष्ट रूप से आया है कि मांगु की आराजियात आज से 44–45 वर्ष पूर्व मोती के नाम पर आई**

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

है जो कि किसी कारण विशेष से आई होगी । दौराने बहस स्वयं प्रतिवादी मोती उपस्थित रहा जिससे न्यायालय द्वारा पूछने पर प्राकृतिक पिता की जमीन में हिस्सा आया है या नही तो उन्होनें बताया कि प्राकृतिक पिता की जमीन में उनका कोई हिस्सा नहीं है ऐसी स्थिति में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि वादग्रस्त आराजियात जो कि मांगु पिता कजोड की रही है में वादीगण सुडी व जेतु को मांगु के वारिस होने के नाते वादग्रस्त आराजियात में मोती के साथ बराबर–बराबर हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। ''

15. जब अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय में अपना अभिमत व्यक्त कर दिया था कि ''**वहीं प्रतिवादी यह प्रमाणित करने में भी असफल रहे है कि मांगू व सुडी ने अपने जीवन काल में प्रतिवादी को गोद लिया हो एवं मोती के प्राकृतिक पिता ने गोद दिया हो। इस कारण मोती का गोद पुत्र हो ऐसी कोई मौखिक व लिखित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुई है। जिससे कि मोती को मांगू का गोद पुत्र माना जा सके।**'' प्रत्यर्थी /प्रतिवादी संख्या 1 ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष न तो कोई रजिस्टर्ड गोदनामा प्रस्तुत किया है एवं न ही अपने जाइन्दा पिता हरदेव की खातेदारी भूमि में से विरासत से हक नहीं प्राप्त किया हो इस सबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की है। उसके बावजूद अधिनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी को वादग्रस्त मांगू पिता कजोड के हिस्से में आई आराजियात में 1/3 हक हिस्से का वादीगण के साथ खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की डिक्री पारित की है जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता है।

16. अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय में जब बाद विचारण यह अभिमत व्यक्त कर दिया था कि '' वादग्रस्त आराजियात मांगू पिता कजोड की रही है एवं

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

उक्त दोनों तथ्य को प्रतिवादी ने अपने जवाब दावे व बहस में इंकार नहीं किया है इस कारण यह तथ्य भलीभॉति प्रमाणित है कि सुडी व जेतू मांगु की पत्नी/पुत्री है जो कि मांगू के प्रथम श्रेणी के वारिसान है इस कारण से उक्त वादग्रस्त आराजियात मांगू पिता कजोड की रही है जिसमें वादीगण का हक हिस्सा जन्म से निहित होकर स्वाभाविक रूप से बनता है। '' ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि मांगू पिता कजोड की वादग्रस्त आराजियात में वादीगण को ही खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता। अधिनस्थ न्यायालय ने बिना किसी गोदनामे, रजिस्टर्ड दस्तावेज के रिकोर्ड पर नहीं होते हुए प्रत्यर्थी संख्या 1/प्रतिवादी को वादग्रस्त आराजियात में वादीगण के साथ खातेदार काश्तकार घोषित किया है। जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता है।

17. अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 16.1.2018 को निरस्त किया जाकर अपीलार्थीगण/वादीगण कोस्व0 मांगू पुत्र कजोड जाट के विधिक वारिसान घोषित किया जाकर मांगू पुत्र कजोड की खातेदारी आराजियात में 1/2, 1/2 प्रत्येक को खातेदार घोषित किया जाता है तथा रेस्पोडेण्ट नम्बर 1 मोती आत्मज हरदेव जाट का नाम वादग्रस्त आराजियात में दर्ज खातेदार से विलोपित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं ग्राम मंशा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मंशा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा में खाता संख्या 287 खसरा नम्बर 546 रकबा 1 बीघा 03 बिस्वा, आराजी नम्बर 781 रकबा 1 बीघा 08 बिस्वा, आराजी नम्बर 785 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, आराजी नम्बर 820 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, आराजी नम्बर 826 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा, आराजी नम्बर 827 रकबा 1 बीघा 06 बिस्वा, आराजी नम्बर 851 रकबा 4 बीघा 07 बिस्वा,

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

आराजी नम्बर 852 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, कुल किता 8 रकबा 17 बीघा 18 बिस्वा में अपीलार्थीगण/वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी प्रकार आराजी संख्या 547 रकबा 04 बिस्वा में 1/4 हिस्से में अपीलार्थीगण/वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। आराजी संख्या 825 रकबा 03 बिस्वा, आराजी संख्या 850 रकबा 05 बिस्वा में 1/3 हिस्से का अपीलार्थीगण/वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। साथ ही अपीलार्थीगण/वादीगण के पक्ष में एवं प्रत्यर्थी संख्या 1/प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पारित की जाती है कि प्रतिवादी वादीगण के कब्जेकाश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करें एवं न ही किसी अन्य से करावें। पर्चा डिक्री मूर्तिब किया जावे।

18. निर्णय आज दिनांक 26.8.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, भीलवाडा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/74/2018

उनवान

1. श्रीमती सूडी पत्नी मांगू जाट निवासी मंशा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
2. श्रीमती जेतू उर्फ बदाम पुत्री मांगू जाट पत्नी छोटू लाल जाट निवासी मंशा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. मोती आत्मज हरदेव जाट निवासी मंशा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कोटडी जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, कोटडी के प्रकरण संख्या 134/2015(92/2015) निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.1..2018

अधिवक्तागण :–

1. श्री आर एल जाट, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री अभिमन्यु जोशी अधिवक्ता प्रत्यर्थी सख्या 1
3.. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

अपील में डिक्री

(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आर**टीए/74/2018** मे **उपखण्ड अधिकारी, कोटडी** के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित डिक्री जारी की जाती हैं:

यह अपील तारीख 26.8.2019 को अपीलाण्ट की ओर से श्री आर एल जाट प्रत्थर्थी संख्या 1 की ओर से श्री अभिमन्यु जोशी वकील एवं प्रत्यर्थी की ओर से राजकीय पेरोकार की उपस्थिति मे दिनांक 26.8.2019 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :–

अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 16.1.2018 को निरस्त किया जाकर अपीलार्थीगण/वादीगण कोस्व0 मांगू पुत्र कजोड जाट के विधिक वारिसान घोषित किया जाकर मांगू पुत्र कजोड की खातेदारी आराजियात में 1/2,

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

1/2 प्रत्येक को खातेदार घोषित किया जाता है तथा रेस्पोडेण्ट नम्बर 1 मोती आत्मज हरदेव जाट का नाम वादग्रस्त आराजियात में दर्ज खातेदार से विलोपित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं ग्राम मंशा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मंशा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा में खाता संख्या 287 खसरा नम्बर 546 रकबा 1 बीघा 03 बिस्वा, आराजी नम्बर 781 रकबा 1 बीघा 08 बिस्वा, आराजी नम्बर 785 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, आराजी नम्बर 820 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, आराजी नम्बर 826 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा, आराजी नम्बर 827 रकबा 1 बीघा 06 बिस्वा, आराजी नम्बर 851 रकबा 4 बीघा 07 बिस्वा, आराजी नम्बर 852 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, कुल किता 8 रकबा 17 बीघा 18 बिस्वा में अपीलार्थीगण/वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी प्रकार आराजी संख्या 547 रकबा 04 बिस्वा में 1/4 हिस्से में अपीलार्थीगण/वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। आराजी संख्या 825 रकबा 03 बिस्वा, आराजी संख्या 850 रकबा 05 बिस्वा में 1/3 हिस्से का अपीलार्थीगण/वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। साथ ही अपीलार्थीगण/वादीगण के पक्ष में एवं प्रत्यर्थी संख्या 1/प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पारित की जाती है कि प्रतिवादी वादीगण के कब्जेकाश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करें एवं न ही किसी अन्य से करावें।

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यारा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 26.8.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डिक्री जारी की जाती है।

26/8/19

(हेमन्त स्वरूप माथुर)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट
1. अपील के लिये ज्ञापन
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडेण्ट
1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस